रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2010/अग्रहायण 5, 1932

No. 643] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2010/AGRAHAYANA 5, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 927(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ङ), (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति

3. **चयन समिति.**—अधिकरण के न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित होंगे अर्थात् :—

(क) उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विधि और न्याय मंत्री के परामर्श से नामनिर्दिष्ट होगा। —अध्यक्ष ;

(ख) अधिकरण का अध्यक्ष —सदस्य ;

(ग) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य ;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर —सदस्य ;

(ङ) निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद —सदस्य ;

(च) अध्यक्ष, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली —सदस्य ;

4. **भर्ती की पद्धति.**—विशेषज्ञ सदस्य की भर्ती की पद्धति संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा होगी :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार या स्वशासी निकायों या कानूनी निकायों या विश्वविद्यालयों में सेवारत है, या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त के लिए विकल्प कर सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नियमित आधार पर सदृश पद या कोई ऐसा पद धारण न करता हो जो कि सदृश पद से एक स्तर नीचे का है।

5. **आवेदन आमंत्रित करने और उनके प्रक्रमण की प्रक्रिया.**—(1) केन्द्रीय सरकार न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों

की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रकाशित किसी विज्ञापन के माध्यम से धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी।

(2) अध्यक्ष या चयन समिति का कोई सदस्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी पात्र अभ्यर्थी को केन्द्रीय सरकार को नामनिर्देशित कर सकेंगे ।

(3) यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों या नामनिर्देशनों की छानबीन या लघु सूचीयन, यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(4) छानबीन समिति, आवेदनों की छानबीन करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार के लिए लघु सूचीयन किया गया है उनके पास अधिनियम की धारा 5 में यथा-विनिर्दिष्ट उच्चतर अर्हताएं और अनुभव हैं।

(5) लघु सूचीयन अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा।

6. वित्तीय और अन्य हित की घोषणा.—प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में, इन नियमों से संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करेगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है। जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्याय 3

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा-शर्तें

7. वेतन और भत्ते.—(1) (क) अध्यक्ष किसी मासिक वेतन और ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो कि उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं;

(ख) न्यायिक सदस्य उतने मासिक वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो कि किसी उच्च न्यायालय के किसी पदासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं; और

(ग) विशेषज्ञ सदस्य किसी मासिक वेतन और ऐसे भतों का हकदार होगा, जो कि भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु यदि यथास्थाति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित की जाने वाली पेंशन की सकल रकम घटा दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य वेतन के ऐसे नियतन से पूर्व मूल वेतन पर भत्ते पाने का हकदार होगा।

(2) **नियुक्ति पर मूल सेवा से प्रतिनियुक्ति.**—कोई विशेषज्ञ सदस्य, जो कि अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत था, या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विकल्प कर सकता है और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश की दशा में, जिसे यथास्थिति, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ के पैरा 11 के खंड (ख) के उपखंड (i) के अर्थान्तर्गत वास्तविक सेवा मानी जाएगी ।

8. छुट्टी.—(1) कोई व्यक्ति, अधिकरण में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति पर निम्नलिखित छुट्टी का हकदार होगा:—

(i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेंडर वर्ष के लिए पन्द्रह दिनों की दर से उपार्जित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत चिकित्सा प्रमाणपत्र पर या निजी कार्य के लिए बीस दिन की दर से अर्ध वेतन छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय वेतन छुट्टी के आधे के समतुल्य होगा;

(iii) अर्ध वेतन छुट्टी, यथास्थिति अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के विवेकानुसार पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है परंतु यह छुट्टी चिकित्सा आधारों पर ली गई है और इसके साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र से समर्पित है;

(iv) एक पदावधि में अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि तक वेतन और भत्तों के बिना असाधारण छुट्टी।

(2) यदि, यथास्थिति अध्यक्ष या कोई न्यायिक सदस्य या कोई विशेषज्ञ सदस्य अधिकरण में अपनी व्यस्तता के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपभोग करने में असमर्थ रहता है तो वह प्रावकाश की अनुपभोग की अवधि को छुट्टी के खाते में जोड़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ "प्रावकाश" से अधिकरण द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कलेंडर वर्ष में तीस दिन का प्रावकाश अभिप्रेत है ।

(3) अधिकरण में अपनी पदावधि के अवसान पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई न्यायिक सदस्य या कोई विशेषज्ञ सदस्य अपने खाते में बकाया उपार्जित छुट्टी की बाबत इस शर्त के अधीन रहते हुए छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा कि इस उप-नियम के अधीन भुनाई गई अधिकतम छुट्टी किसी भी दशा में तीन सौ से अधिक नहीं होगी ।

(4) यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई न्यायिक सदस्य या कोई विशेषज्ञ सदस्य उप-नियम (2) के अधीन छुट्टी वेतन पर यथा-अनुज्ञेय उन्हीं दरों पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि अधिकरण में उसके द्वारा पद त्याग करने की तारीख को प्रवृत थीं ।

(5) **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.**—अध्यक्ष, किसी न्यायिक सदस्य या किसी विशेषज्ञ सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और राष्ट्रपति, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए समक्ष प्राधिकारी होगा ।

9. पेंशन उपदान या भविष्य निधि.—(1) यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश या सरकार में सेवारत किसी व्यक्ति की नियुक्ति यथास्थिति, अध्यक्ष या

न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के पद पर की जाती है तो अधिकरण में की गई सेवा की गणना, उस सेवा के, जिसका वह है, नियमों के अनुसार ली जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी और वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1950 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा ।

(2) अन्य सभी मामलों में, सदस्य अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

(3) अधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

10. **यात्रा भत्ता.**—(1) अध्यक्ष, स्थानांतरण पर दौरे के दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में पदभार ग्रहण करने या अधिकरण में अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने के लिए की जाने वाली यात्रा भी है) उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत चीजबस्त के परिवहन और अन्य समरूप बातों का हकदार होगा जो कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को यात्रा भत्तों को शासित करने वाले सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

(2) न्यायिक सदस्य, स्थानांतरण पर दौरे के दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में पदभार ग्रहण करने या अधिकरण में अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने के लिए की जाने वाली यात्रा भी है) उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत चीजबस्त के परिवहन और अन्य समरूप बातों का हकदार होगा जो कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को यात्रा भत्तों को शासित करने वाले सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

(3) विशेषज्ञ सदस्य, स्थानांतरण पर दौरे के दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में पदभार ग्रहण करने या अधिकरण में अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने के लिए की जाने वाली यात्रा भी है) उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत चीजबस्त के परिवहन और अन्य समरूप बातों का हकदार होगा जो कि केन्द्रीय सरकार की समूह 'क' सेवा के किसी अधिकारी को यात्रा भत्तों को शासित करने वाले सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

11. **छुट्टी यात्रा रियायत.**—अध्यक्ष, कोई न्यायिक सदस्य और कोई विशेषज्ञ सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत का उसी दर पर और उन्हीं मापमानों पर और उन्हीं शर्तों पर हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' अधिकारी के लिए अनुज्ञेय हैं ।

12. **वास सुविधा.**—अध्यक्ष, कोई न्यायिक सदस्य और कोई विशेषज्ञ सदस्य को आहरित मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा :

परंतु यदि उसे दिल्ली में साधारण पूल निवास स्थान के लिए पात्र घोषित कर दिया जाता है तो वह मकान किराया भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा ।

13. **वाहन सुविधा.**—अध्यक्ष, कोई न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, शासकीय और निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा करने के लिए भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा ।

14. **चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाएं.**—अध्यक्ष, कोई न्यायिक सदस्य और कोई विशेषज्ञ सदस्य, अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में यथा-उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल की सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में, जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां अध्यक्ष, कोई न्यायिक सदस्य और कोई विशेषज्ञ सदस्य, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में यथा-उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा ।

15. **टेलिफोन सुविधा, शासकीय बैठकें और सत्कार खर्च.**—अध्यक्ष और कोई न्यायिक सदस्य और कोई विशेषज्ञ सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' अधिकारी को यथा-अनुज्ञेय टेलिफोन सुविधाओं, शासकीय बैठकों और सरकारी खर्चों के लिए पात्र होगा ।

16. **अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तें.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकरण का, यथास्थिति, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जाता है वहां, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट सेवा-शर्तें उसे लागू होंगे ।

17. **नियमों को शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों की बाबत इस अध्याय के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

18. **अवशिष्ट शक्तियां.**—यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित ऐसा मामला, जिसकी बाबत इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अध्याय 4

धारा 10 की उप-धारा (4) और उप-धारा (5) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी न्यायिक सदस्य या किसी विशेषज्ञ सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया

19. **जांच का संस्थित किया जाना.**—केंद्रीय सरकार लिखित शिकायत प्राप्त होने पर धारा 10 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के अधीन अधिकरण के किसी न्यायिक या विशेषज्ञ सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच संस्थित करेगी ।

20. **शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति.**—(1) यदि अध्यक्ष या किसी न्यायिक सदस्य या किया विशेषज्ञ सदस्य की बाबत पद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कदाचार या असमर्थता के किसी निश्चित आरोप का अभिकथन करते हुए कोई लिखित शिकायत केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।

(2) यदि, प्रारंभिक संवीक्षा पर, केंद्रीय सरकार अभिकथन का अन्वेषन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह

समर्थक सामग्री के साथ उस शिकायत को एक समिति के समक्ष रखेगी, जो शिकायत में लगाए गए आरोपों को अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष

(ii) सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य

(3) समित अन्वेषण की अपनी स्वयं की ऐसी प्रक्रिया और पद्धति अपनाएगी जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना और ऐसी जांच से सुसंगत सामग्री एकत्र करना भी है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा इन नियमों के अधीन की जा सकेगी ।

(4) समिति अपने निष्कर्ष यथासंभव शीघ्र उस अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट की जाएं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी ।

21. **जांच करने वाला न्यायाधीश.**—(1) यदि समिति के निष्कर्ष प्राप्त होने पर राष्ट्रपति की यह राय है कि अध्यक्ष या किसी न्यायिक सदस्य या किसी विशेषज्ञ सदस्य के कदाचार या असमर्थता के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, उससे जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करते हुए, निर्देश करेगा ।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित सदस्य को दी जाएगी ।

(4) राष्ट्रपति, न्यायाधीश को निम्नलिखित की प्रति अग्रेषित करेगा—

(i) संबंधित सदस्य के विरुद्ध आरोपों की मदें, अभ्यारोपणों का कथन ;

(ii) साक्षियों का, कथन यदि कोई हों; और

(iii) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।

(5) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगा ।

(6) संबंधित सदस्य को, ऐसे समय के भीतर, जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(7) जहां यह अभिकथन किया जाता है कि संबंधित सदस्य किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पदीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है और उस अभिकथन का प्रत्याख्यान किया जाता है तो न्यायाधीश उस सदस्य की ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा तत्प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए, चिकित्सा परीक्षा करने की व्यवस्था कर सकेगा और संबंधित सदस्य ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होगा ।

(8) चिकित्सा बोर्ड उस सदस्य की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा, जो वह आवश्यक समझे और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट, उसमें यह कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा कि असमर्थता ऐसी है जो कि सदस्य को पद पर बने रहने के लिए अयोग्य बनाती है ।

(9) यदि वह सदस्य ऐसी चिकित्सा परीक्षा, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए, कराने से इनकार करता है तो बोर्ड न्यायाधीश को एक रिपोर्ट, उसमें ऐसी परीक्षा का कथन करते हुए, जिसके कराने के लिए सदस्य ने इनकार किया है, प्रस्तुत करेगा और न्यायाधीश ऐसी रिपोर्ट होने पर यह उपधारणा करेगा कि वह सदस्य ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त है जैसाकि सदस्य के विरुद्ध अभिकथन किया गया है ।

(10) न्यायाधीश सदस्य के लिखित कथन और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसी दशा में सदस्य को प्रतिवाद का नए सिरे से लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(11) केंद्रीय सरकार उस सदस्य के विरुद्ध मामला पेश करने के लिए अपना अधिकारी या कोई अधिवक्ता नियुक्त करेगी ।

(12) जहां केंद्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपना मामल पेश करने के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया है, वहां संबंधित सदस्य को भी अपने द्वारा चुने गए किसी अधिवक्ता द्वारा अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

22. **विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का इन नियमों के अधीन की जांचों को लागू होना.**—विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना और दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों के संबंध में लागू होते हैं ।

23. **न्यायाधीश की शक्तियां.**—न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा बल्कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के स्थान तथा समय नियत करना भी है, विनियमित करने की शक्ति होगी ।

24. **न्यायिक सदस्य का निलंबन.**—राष्ट्रपति, नियम 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण के उस न्यायिक सदस्य को निलंबित कर सकेगा जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है ।

25. **निर्वाह भत्ता.**—निलंबनाधीन किसी सदस्य को निर्वाह भत्ते का संदाय भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित होगा ।

26. **जांच रिपोर्ट.**—न्यायाधीश, अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रपति को, आरोपी की प्रत्येक मद के बारे में पृथक् रूप से

अपने निष्कर्षों और संपूर्ण मामले पर ऐसी मताभिव्यक्तियों सहित, जो वह ठीक समझे, उनके कारणों का कथन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

प्ररूप

(देखिए नियम 6)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं .... राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष/न्यायिक/विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरा कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही भविष्य में होगा जिससे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष/न्यायिक/विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

तारीख :

स्थान :

(अध्यक्ष/न्यायिक/विशेषज्ञ सदस्य का नाम)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण

[फा. सं. 17(1)/2010-पी.एल.]
डॉ. रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2010

G.S.R. 927(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (f) and (g) of (2) of Section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);

(b) "Section" means a Section of the Act;

(c) "Tribunal" means the National Green Tribunal established under Section 3 of the Act.

(2) The words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

45684G/10-2

CHAPTER II

MANNER OF APPOINTMENT OF JUDICIAL MEMBERS AND EXPERT MEMBERS

3. Selection Committee.—The Judicial Members and Expert Members of the Tribunal shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee comprising of the following, namely :—

(a)	Sitting Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India in consultation with the Minister of Law and Justice	Chairperson;
(b)	Chairperson of the Tribunal	Member;
(c)	Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests	Member;
(d)	Director, Indian Institute of Technology, Kanpur	Member;
(e)	Director, Indian Institute of Management, Ahmadabad	Member;
(f)	President, Centre for Policy Research, New Delhi	Member.

4. Method of recruitment.—The method of recruitment of the Expert Member shall be by direct recruitment on Contract basis :

Provided that any person in the service in the Government or Autonomous bodies or Statutory bodies or Universities may opt for appointment either by direct recruitment or on deputation basis :

Provided further that no person shall be appointed on deputation, unless he holds an analogous posts on regular basis or a post which is one level below that of analogous post.

5. Procedure for inviting and processing of applications.—(1) The Central Government shall invite application for the appointment of Judicial Members and Expert Members from the persons having qualifications specified under Section 5 through an advertisement published on all India basis :

(2) The Chairperson or a Member of the Selection Committee may nominate an eligible candidate of national or international repute to the Central Government.

(3) The applications or nominations received under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, shall be screened and shortlisted, if necessary, by the Central Government.

(4) The Screening Committee while screening the applications shall ensure that the persons shortlisted for interview possess higher qualifications and experience as specified under Section 5 of the Act,

(5) The shortlisted candidates shall be called to appear before the Selection Committee for interview.

6. Declaration of financial or other interest.—Every person, on his appointment as the Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be, shall give a declaration in Form appended to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be.

CHAPTER III

SALARIES, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRPERSON, JUDICIAL MEMBERS AND EXPERT MEMBERS

7. Salary and allowances.—(1) (a) The Chairperson shall be entitled to a monthly salary and to such allowances as are admissible to a sitting judge of the Supreme Court;

(b) the Judicial Member shall be entitled to a monthly salary and to such allowances as are admissible to a sitting judge of a High Court; and

(c) the Expert Member shall be entitled to a monthly salary and to such allowances as are admissible to a Secretary to the Government of India :

Provided that in case a person appointed as the Chairperson or a Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him :

Provided further that the Chairperson or a Member, as the case may be, shall be entitled to draw allowances on the original basic pay before such fixation of pay.

(2) Deputation from parent service on appointment.— An Expert Member who on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government, can opt for appointment either by direct recruitment or on deputation basis and in the case of a sitting Judge of the Supreme Court or a High Court who is appointed as the Chairperson or the Judicial Member, as the case may be, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of sub-clause (i) of clause(b) of paragraph 11 of Part D of the Second Schedule to the Constitution.

8. Leave.— (1) A person, on appointment in the Tribunal as a Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall be entitled to leave as follows :

(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed calendar year of service;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairperson or Judicial Member or Expert Member, as the case may be, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) If the Chairperson or a Judicial Member or an Expert Member, as the case may be, is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation—For the purpose of this sub-rule "vacation" means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of the term of his office in the Tribunal, the Chairperson or a Judicial Member or an Expert Member, as the case may be, shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule shall not in any case exceed three hundred days.

(4) The Chairperson or a Judicial Member or an Expert Member, as the case may be, shall be entitled to receive the dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal.

(5) **Leave sanctioning authority.**—The Chairperson shall be the authority competent to sanctioning leave to a Judicial Member or an Expert Member and the President shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

9. Pension, Gratuity or Provident fund.—(1) In case a serving judge of the Supreme Court or a High Court or a person in the service of the Government is appointed to the post of the Chairperson or Judicial Member or an Expert Member, as the case may be, the service rendered in the Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs, and he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(2) In all other cases, the Member shall be governed by the provision of the Contributory provident Fund (India) Rules, 1962.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.

10. Travelling Allowance.—(1) The Chairperson, while on tour as on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and the same rates as admissible to a

Judge of the Supreme Court under the relevant rules governing travelling allowances.

(2) The Judicial Member while on tour as on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and the same rates as admissible to a Judge of the High Court under the relevant rules governing travelling allowances.

(3) The Expert Member while on tour as on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and the same rates as admissible for an officer of Group 'A' service of the Central Government under the relevant rules governing travelling allowances.

11. Leave Travel Concession.—The Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall be entitled to leave travel concession at the same rate, and at the same scales and on the same conditions as are admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

12. Accommodation.—The Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall have the option of claiming house rent allowance at the rate of thirty per cent of the basic pay drawn :

Provided that he shall not be eligible for house rent allowance in case he is declared eligible for General Pool Residential Accommodation in Delhi and occupy such a Government accommodation allotted to him.

13. Facility of conveyance.—The Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.

14. Facilities for medical treatment.—The Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairperson, a Judicial Member and an Expert Member shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

15. Telephone facility, official meetings and entertainment expenses.—The Chairperson and a Judicial Member and an Expert Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

16. Conditions of service of sitting Judge of Supreme Court or a Judge of a High Court appointed as Chairperson or Judicial Member.—Notwithstanding anything contained in these rulês, where a sitting judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court is appointed as the Chairperson or a Judicial Member of the Tribunal, as the case may be, the service conditions as contained in the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 or the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, as the case may be, and the rules made thereunder shall apply to him.

17. Powers to relax rules.—The Central Government shall have power to relax the provisions of this chapter in respect of any class or categories of persons.

18. Residuary provisions.—Matter relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member, as the case may be, with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be referred by the Tribunal to the Central Government for its decision.

CHAPTER IV

PROCEDURE FOR INQUIRY OF CHARGES AGAINST A CHAIRPERSON OR A JUDICIAL MEMBER OR AN EXPERT MEMBER OF TRIBUNAL UNDER SUB-SECTIONS (4) AND (5) OF SECTION 10

19. Institution of inquiry.—The Central Government shall institute an inquiry of the charges against the Chairperson or a Judicial Member or an Expert Member of the Tribunal under Sub-section (4) or Sub-section (5) of Section 10 of the Act on receipt of written complaint.

20. Committee for investigation of complaints.—(1) If a written complaint alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions of the office in respect of the chairperson or a Judicial Member or an Expert Member is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available, before a Committee consisting of the following officers to investigate into the charges made in the complaint, namely :—

(i)	Cabinet Secretary	—Chairperson
(ii)	Secretary, Ministry of Environment and Forests	—Member
(iii)	Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice	—Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material evidence relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

21. Judge to conduct inquiry.—(1) If on the receipt of the findings of the Committee, the President is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour of incapacity of the chairperson or a Judicial or an Expert Member, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub- rule (2) shall be given to the Member concerned.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of—

(i) the articles of charges against the Member concerned or the statement of imputations;

(ii) the statement of witnesses, if any; and

(iii) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge appointed under sub-rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Member concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Member concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Member by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Member concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Member as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Member unfit to continue in office.

(9) If the Member refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Member has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Member suffers from such physical or mental incapacity as is alleged against the Member.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Member and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (i) of sub-rule (4) and in such a case, the Member shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint its officer or an advocate to present the case against the Member.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Member concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

22. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972, to inquiries under these rules.—The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

23. Powers of Judge.—The Judge shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

24. Suspension of Judicial Member.— Notwithstanding anything contained in rule 6 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President, keeping in view the gravity of charges, may suspend the Judicial Member of the Tribunal against whom a reference has been made to the Supreme Court.

25. Subsistence Allowance.—The payment of subsistence allowance to a Member under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India.

26. Inquiry Report.—After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

FORM

(See rule 6)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I,................, having been appointed as the Chairperson/Judicial/Expert Member (*cross out portion not applicable*) of the National Green Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson/Judicial/ Expert Member (*cross out portion not applicable*) of the National Green Tribunal.

Dated : (Name of the Chairperson/Judicial/Expert
Place : Member) National Green Tribunal

[F.No.17 (I)/2010-PL]

Dr. RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.